न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 166 / 2021

वादीगण	बनाम	अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RT Act. प्रतिवादीगण
1. विक्रमपाल पुत्र भूरदान 2. भरतपाल पुत्र भूरदान 3. जयपाल पुत्र भूरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. भूरदान पुत्र हरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. गीताकंवर पुत्री भूरदान पत्नी हाकमदान 3. बसन्तीकंवर पुत्री भूरदान पत्नी प्रभूदान जाति चारण, निवासी गूंगा हाल निवासी गडरारोड़ तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 – श्री भगवानदास गोयल।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.02.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 94, 878/94 रकबा क्रमशः 10.2466, 1.1979 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. हरदान के नाम खातेदारी दर्ज थी। हरदान का देहांत होने पर उक्त आराजी उनके पुत्र एवं विधिक वारिश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जिसमें वादीगण का पैतृक हक हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र–पौत्र–प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है, इसलिए वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का [illegible] किया है। वादी संख्या [illegible] की ओर से बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा [illegible] दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश किया गया। [illegible] संख्या 1 व 3 स्वयं तथा वादी संख्या 2 की ओर से जरिये अधि[illegible] प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हो [illegible] होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

पक्षकारान् द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, खतौनी बन्दोबस्त पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने वारिशान के संबंध में 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र एवं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराज़ी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 हरदान के वारिस है, जो जाति से चारण होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वारिश शपथ पत्र से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व0 हरदान के वारिश होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर वादपत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है, किन्तु प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां होने से एवं विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का बराबर हक हिस्सा निहित है। यदि प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3 वादग्रस्त आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हिस्से का त्याग करना चाहती है तो वह उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना हक त्याग करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर नम्बर 94, 878/94 रकबा क्रमशः 10.2466, 1.1979 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव